फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

आशाराम बनाम रामस्वरूप वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0 पत्र अस्थाई निषे0 मु0नं0– 66/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा0 पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 37 पूर्व 33 वाके रामा शेखपुरा तह0 बहरावण्डा में स्थित है, उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 का ही नाम अंकन है जो पूर्व में प्रार्थीगण के पितामह अर्थात रामस्वरूप के पिता श्रीया के नाम से थी व उससे पूर्व उनके पिता के नाम थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 को उनके हको से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि को दीगर लोगो को आये दिन बेच रहे है मना करने पर भी नही मान रहे है। इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक जारी अस्थाई निषे0 को कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी रामस्वरूप एवं अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की ओर से दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया है कि यदि न्यायालय द्वारा वाद के अन्तिम निस्तारण तक स्थगन आदेश दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस के मनन से यह साबित होता है विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पैतृकता के आधार पर उदघोषणा वादपत्र पेश किया गया है। यदि न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति में परिवर्तन होता है तो अनावश्यक वाद दायर होंगे एवं यदि अप्रार्थी अपने इस मकसद में सफल होते है तो प्रार्थीगण को इससे अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है, अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रकरण में जारी अस्थाई निषे0 दिनांक 07.06.2023 को मूल वादपत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाएं रखें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	